विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, दुर्ग
दुर्ग क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर नाका दुर्ग–491001

क्र. 01 दि. 08/05/2026

प्रकरण क्रमांक CGRF/DURG/2026/38
दिनांक 23.04.2026

श्री महेन्द्र सिंग
ग्राम – खर्रा
बी.पी. नं. **1009797770**,
मो नं. **9406332071, 7828994578**

आवेदक

विरूद्ध

1.कार्यपालन अभियंता (संचा/संधा) संभाग
छ.स्टे.पॉ.डि.कं.लिमि., दुर्ग

2. सहायक अभियंता उपसंभाग
छ.स्टे.पॉ.डि.कं.लिमि., बघेरा

3. कनिष्ठ अभियंता वितरण केन्द्र
छ.स्टे.पॉ.डि.कं.लिमि., बघेरा

अनावेदकगण

विषय :– आवेदक द्वाराग्राम खर्रा स्थित पुराने विद्युत कनेक्शन के विच्छेदन हेतु किये गये आवेदन पर समय पर कार्रवाई नहीं किए जाने के संबंध में।

आदेश

(आज दिनांक 08.05.2026 को पारित किया गया)

1. विवाद का संक्षिप्त विवरण

आवेदक द्वारा प्रस्तुत परिवाद में यह शिकायत की गई कि ग्राम खर्रा स्थित आवेदक के पुराने विद्युत कनेक्शन को विच्छेद करने हेतु आवेदन देने के बावजूद विभाग द्वारा समय पर कोई कार्रवाई नहीं की गई।

फोरम द्वारा शिकायत को प्रकरण क्रमांक 38/2026 के अंतर्गत पंजीबद्ध कर सुनवाई आरंभ की गई। प्रकरण की प्रथम सुनवाई दिनांक 08.05.2026 को की गई।

सुनवाई के दौरान आवेदक उपस्थित रहे, जबकि अनावेदकगण अनुपस्थित रहे।

आवेदक ने प्रस्तुत किया कि उनके नाम से ग्राम खर्रा स्थित विद्युत कनेक्शन बी.पी. क्रमांक 1009797779 पूर्व से संचालित था। तत्पश्चात उनके द्वारा नया विद्युत कनेक्शन बी.पी. क्रमांक 1010333516 प्राप्त कर लिया गया। पुराने कनेक्शन के विच्छेदन हेतु उन्होंने दिनांक 20.04.2026 को ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराई थी, किन्तु उस पर तत्काल कार्रवाई नहीं की गई।

प्रकरण के अभिलेखों के परीक्षण से यह स्पष्ट हुआ कि आवेदक के आवेदन के आधार पर विभाग द्वारा दिनांक 22.04.2026 को पुराने विद्युत कनेक्शन बी.पी. क्रमांक 1009797779 का विच्छेदन कर दिया गया है।

फोरम द्वारा आवेदक से उनके दूरभाष क्रमांक 9406332071 पर संपर्क कर वस्तुस्थिति की पुष्टि की गई। आवेदक ने पुष्टि की कि उनका पुराना विद्युत कनेक्शन विच्छेद कर दिया गया है तथा वर्तमान में उन्हें विद्युत आपूर्ति अथवा बिलिंग संबंधी कोई शिकायत शेष नहीं है।

2. फोरम का निष्कर्ष

अभिलेखों एवं आवेदक के कथन के आधार पर यह स्पष्ट है कि शिकायत का मूल विषय पुराने विद्युत कनेक्शन का विच्छेदन था। विभाग द्वारा उक्त कार्रवाई दिनांक 22.04.2026 को पूर्ण कर दी गई है तथा आवेदक ने भी इसकी पुष्टि करते हुए संतोष व्यक्त किया है।

अतः प्रकरण में अब किसी प्रकार का विवाद अथवा शेष राहत अपेक्षित नहीं है।

3. आदेश

1.चूँकि आवेदक के पुराने विद्युत कनेक्शन बी.पी. क्रमांक 1009797779 का विच्छेदन किया जा चुका है तथा आवेदक द्वारा संतोष व्यक्त किया गया है, अतः शिकायत का निराकरण मानते हुए प्रकरण निराकृत किया जाता है।

2.अनावेदकगण को निर्देशित किया जाता है कि भविष्य में विद्युत कनेक्शन विच्छेदन हेतु प्राप्त आवेदनों का नियमानुसार एवं निर्धारित समय–सीमा में निराकरण सुनिश्चित करें, जिससे उपभोक्ताओं को अनावश्यक असुविधा का सामना न करना पड़े।

3.उपरोक्त आदेश फोरम द्वारा विधिवत पारित किया जाता है।

4. प्रकरण फोरम के समक्ष प्रस्तुत तथ्यों एवं प्रतिवेदनों के आधार पर निराकृत।

5. यदि शिकायतकर्ता/आवेदक फोरम द्वारा पारित उक्त आदेष से असंतुष्ट हो तो माननीय विद्युत लोकपाल रायपुर के समक्ष इस आदेश की प्राप्ति की तिथि से 45 दिनों के भीतर अपील दायर कर सकता है।

(ममता कश्यप)
सदस्य
विद्युत उपभोक्ता शिकायत
निवारण फोरम दुर्ग

(पी.व्ही. सजीव)
अध्यक्ष
विद्युत उपभोक्ता शिकायत
निवारण फोरम दुर्ग